कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हि.अ.8(7)/2024/हिंदी पखवाड़ा/1053 दिनांक: 29 JUL 2024

सेवा में,

1. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जोन) ।
2. निदेशक, पीडीनास ।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा) मुख्यालय ।
4. सभी प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर, 2024 से 29 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने के संबंध में ।

संदर्भ: सुश्री अंशुली आर्या, भा.प्र.से., सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का अर्ध-शासकीय पत्र संख्या - 11034/04/2024 रा.भा. (नीति) दिनांक: 03.07.2024

महोदय / महोदया,

आप सभी जानते ही हैं कि 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के ऊपर संदर्भित अर्ध-शासकीय पत्र संख्या - 11034/04 /2024-रा.भा. (नीति) दिनांक: 03.07.2024 (प्रति संलग्न) के अनुसार 14 सितंबर, 2024 भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस तथा 14-15 सितंबर, 2024 को चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में ईपीएफओ की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सभी आंचलिक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को निदेश दिए जाते हैं कि वे चतुर्थ राजभाषा सम्मेलन में अपने अंचल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें और राजभाषा कर्मियों (उप निदेशक (रा.भा.)/ सहायक निदेशक (रा.भा.)/ वरिष्ठ / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी) को इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु नामित करें । राजभाषा कार्यों से जुड़े अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों को भी इस सम्मेलन हेतु नामित किया जा सकता है ।

साथ ही, संगठन के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में होगा तथा समापन 29 सितंबर, 2024 को संबंधित कार्यालय में होगा । विभिन्न प्रतियोगिताएं 16 सितंबर, 2024 के बाद संपन्न कराई जाएं। अपरिहार्य स्थिति में ये प्रतियोगिताएं 1 से 13 सितंबर, 2024 के मध्य आयोजित की जा सकती हैं। आपसे अनुरोध है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। (प्रतियोगिताओं का ब्यौरा संलग्न है।) प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि/ कार्यक्रम सभी कार्यालयों द्वारा अपनी-अपनी सुविधानुसार निर्धारित की जा सकती है।

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार की राशि			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रोत्साहन पुरस्कार
1.	हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
2.	विचार प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
3.	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
4.	राजभाषा प्रतियोगिता - हिंदी वर्तनी, राजभाषा अधिनियम - नियम, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
5.	कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग - वर्ड, एक्सेल एवं पॉवरपॉइंट	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
6.	कार्यालय द्वारा स्वविवेक से भी 02 (दो) अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है।	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-

इन प्रतियोगिताओं के साथ निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

1. केवल (1) हिंदी निबंध प्रतियोगिता तथा (2) हिंदी टिप्पण- आलेखन प्रतियोगिता में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार रखे जाने हैं। जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया या असमिया आदि है, उन्हें गैर - हिंदी भाषी प्रतियोगी माना जाएगा।

2. केवल कार्यालय के वेतन रोल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
3. विजेताओं को पुरस्कार देने के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी 01 कर्मचारी को एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त होता है, तो उसे केवल वह 2 पुरस्कार दिए जाएं जिनमें उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। 2 पुरस्कारों के बाद उस कर्मचारी से श्रेष्ठता क्रम में नीचे आने वाले कर्मचारियों को मौका दिया जाए।
4. कोई भी प्रतियोगिता केवल तभी आयोजित की जा सकेगी, जब कम से कम 5 प्रतिभागी उसमें अवश्य भाग लें। यदि 5 से कम प्रतिभागी प्राप्त होते हैं तो प्रतियोगिता का आयोजन न किया जाए।
5. चूंकि उक्त समस्त प्रतियोगिताओं हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यालय के अधिक से अधिक अधिकारी / कर्मचारी प्रतियोगिताओं में भाग लें तथा पुरस्कार राशि से लाभान्वित हों, अत: अनुरोध है कि उक्त अवधि के दौरान एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे समस्त प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग लें।

इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के प्रयत्न किए जाएं। सरकारी कार्य में सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए । यह हिंदी सरल, सहज एवं आम जनता की समझ में आने वाली होनी चाहिए। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :-

- सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने आपको इस संकल्प के प्रति समर्पित करें कि वे हिंदी पढ़ने, बोलने व लिखने में अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान समझेंगे ।
- हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कार्यालयों में हिंदीमय वातावरण बनाने के लिए बैनर आदि लगाए जाएं ।
- सामान्य टिप्पणियों और पत्रादि के मसौदे हिंदी में तैयार किए जाएं । इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके साथी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें । इससे हिंदी में कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा ।
- राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासों में सरल और स्वाभाविक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें ।
- ई-ऑफिस / ई-मेल के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए तथा अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित करें ।

- हिंदी पखवाड़े के दौरान कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु एक अपील जारी की जाए ।
- सभी अनुभागों की फाइलों / ई-फाइलों आदि में हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं ।
- सभी अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को फाइलों/ई- फाइलों में हिंदी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहित करें तथा स्वयं भी हिंदी में टिप्पणी लिखें एवं हिंदी में हस्ताक्षर करें ।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों तथा इस विषय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या - 11034/04/2024-रा.भा. (नीति) दिनांक: 03.07.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाए । हिंदी पखवाड़े की रिपोर्ट, विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा वितरित पुरस्कारों के साथ-साथ नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत वितरत पुरस्कारों के विवरण को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को dir.ol@epfindia.gov.in पर 15 अक्टूबर, 2024 तक अवश्य भेज दी जाए।

[केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी]

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

(भास्कर चौर्डिया)
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)
एवं प्रभारी (राजभाषा)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के स्टाफ अधिकारी
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी / वित्तीय सलाहकार एवं मु.ले.अधिकारी के निजी सचिव।
3. मुख्यालय के सभी अधिकारी ।
4. उप निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
5. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, एन.डी.सी. को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)